


तारीख हुक्म	प्रकरण नं २०५ / २५/२००७ को ११५ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म क में ज
४-४-१९	<p>           पञ्चवली पत्राई / केवलात्र प्रवीरन उपखण्ड /            वकील वादी ने उपखण्ड क्षेत्र कबल किया कि            मुझे वादीगात्र की तरफ के हिदायत पत्रवी नहीं होने            से वादपत्र की कार्यवाही में जाय नहीं लेने के कारण            वादीगात्र को वाद पत्र हिदायत पत्रवी के कबल            में शकबीज किया जाता है पञ्चवली के सम शुभाव            की जाहल दफतर कारिम है ।         </p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>मीलवाड़ा</b> </p>	